अपील सूचना अधिकार संख्या 42/2017 अनवानी जरनेलसिंह पुत्र लाभ सिंह निवासी 2 जी 5 सदभावना नगर श्रीगंगानगर बनाम तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर

13–06–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री जरनेल सिंह उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। तहसीलदार, पदमपुर का पत्र सं0 291 दिनांक 06.06.17 शामिल किया गया। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 02.03.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर से चाही गई सूचना के संबंध में उनके द्वारा उसे जो सूचना उपलब्ध करवाई गई है वह अधूरी सूचना है। इसलिए पूर्ण सूचना उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे एवं सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक व विभागीय कार्यवाही की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री जरनेल सिंह ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 02.03.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाए चाही थीः–

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय पदमपुर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.11.2014 बाबत चक 2 पीएस के मु0 न0 40,41,42 के रकबे से अवैध, हरे पेड़ काटने के सम्बन्ध में प्रस्तुत विडियोग्राफी व हल्का पटवारी की रिपोर्ट तथा मौका फर्द दिनांक 05.11.2014 को आपके कार्यालय में प्राप्त होने के उपरान्त आज तक नियमानुसार की गयी कार्यवाही के प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. उक्त पेड़ प्रार्थी के खेत से अवैध तरीके से बिना अनुमति व बिना किसी सीमा ज्ञान के पडौसी खेत मालिको व अन्य द्वारा बुलवा कर अवैध तरीके से हरे पेड़ काटे गये थे पर कार्यवाही ना करने के आधार की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर का प्रतिवेदन सं0 272 दिनांक 24.05.17 तारीख पेशी 24.05.2017 को उनके कार्यालय के प्रतिनिधिप श्री कृष्णलाल लिपिक ग्रेड सेकेण्ड द्वारा प्रस्तुत किया। उक्त प्रतिवेदन के सलंग्न प्रतिवेदन दिनांक 30.03.17 के अनूसार जो सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई है वह सूचना अपीलार्थी के चाहे अनुसार अपूर्ण होने पर पूर्ण सूचना उपलब्ध करवाने के लिए निदेशित किया गया। जिस पर तहसीलदार पदमपुर द्वारा पत्र दिनांक 06.06.17 के द्वारा निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाते हुए पत्र की प्रतिलिपि इस कार्यालय को भी प्रस्तुत की हैः–

आप द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार उपलब्ध करवाई जा रही है।

1. इस बाबत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,पदमपुर के न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 86 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 20/2017 दिनांक 17.03.2017 को दर्ज किया गया है। प्रकरण की छाया प्रति संलग्न है।
2. आपके स्वयं के खेत से पेड़ काटने पर आप द्वारा पुलिस थाना में इस सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट देकर दोषी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया जाना चाहिये था। बिना स्वीकृती के पेड़ काटने पर दोषी के विरूद्ध श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, पदमपुर के न्यायालय में उक्तानुसार प्रकरण दर्ज करवा दिया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। फिर भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार दिनांक 06.06.17 को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 13.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर